

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन


अधिसूचना सं० 54 / 2015-2020  
नई दिल्ली, दिनांक: 22 मार्च, 2018

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 में संशोधन-दिनांक 01.10.2018 तक अग्रिम प्राधिकार पत्र और ईपीसीजी स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर छूट में विस्तार।

सा.आ.(अ.): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 4.14 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट 01.10.2018 तक बढ़ायी जाती है।
2. विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 5.01(क) के तहत ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट 01.10.2018 तक बढ़ायी जाती है।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 4.14 और पैरा 5.01(क) को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

  
(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फा० सं० 01/94/180/373/एएम 18/पीसी-4 से जारी)